न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 44/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/227

अपीलाण्ट :—

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट, निवासी गांव बरसिंहपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—

1. रामनिवास पुत्र श्री दीपाराम जाति जाट निवासी गांव गुनाढू तहसील धोद जिला सीकर
2. रवीन्द्र राड़ पुत्र श्री बजरंगलाल राड़ जाति जाट निवासी 27 रोड़वेज बस डिपो बजरंग कांटा सीकर
3. मोहनलाल चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी, जाति जाट, निवासी गांव पचार, तहसील जयपुर जिला जयपुर
4. पूर्णचन्द व्यास पुत्र श्री नारायणप्रसाद व्यास, जाति ब्राह्मण, निवासी न्यू ब्रह्मपुरी, तहसील समदड़ी, जिला बाड़मेर
5. गौरव कटारिया पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार कटारिया, जाति कटारिया, निवासी 5 ए 43 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
6. भवानी सिंह पुत्र श्री रामसिंह, निवासी गांव मण्डलीखुर्द, तहसील पाली जिला पाली
7. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :— अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता खुशवन्त सिंह चौहान
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 09.12.2025

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम मण्डली खुर्द, पटवार मण्डल मण्डली खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक मण्डली के नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 05.10.2024 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से खुशवन्त सिंह सांखला वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01, 05 एवं रेस्पो. संख्या 06 तारीख पेशी दिनांक 03.12.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जैर अपील स्वीकार की जाती है, तो उसके समर्थन में अपनी अनापत्ति प्रकट की। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम मण्डली खुर्द पटवार मण्डल मण्डली खुर्द के खसरा संख्या 720/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर रेस्पो. संख्या 06 की खातेदारी की भूमि आई हुई थी। रेस्पो. संख्या 06 ने उक्त आराजी दिनांक 21.07.2022 को अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 05 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान कर दी, जिसकी पालना में अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 05 के नाम तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत किया गया। उक्त बेचाननामा दिनांक 21.07.2022 को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई परन्तु तहसीलदार पाली ने संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बिना किसी विधिक आधारों के उक्त नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 14.09.2022 का पुनर्विलोकन करते हुए उक्त आराजी का पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 05.10.2024 स्वीकृत कर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

दिया जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पो. संख्या 06 को जारी सम्मन बाद तामील होने पर वे स्वयं दिनांक 03.12.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जैर अपील स्वीकार की जाने के संबंध में अपनी अनापत्ति जाहिर की।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि ग्राम मौजा मण्डली खुर्द खसरा संख्या 720/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर भूमि तत्कालीन खातेदार रेस्पो. संख्या 06 से अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 से 05 ने पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 21.07.2022 के माध्यम से क्रय की। उक्त विक्रय–विलेख की विधिवत पालना में नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 14.09.2022 स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह सुस्पष्ट है कि तहसीलदार पाली द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार के तथा बिना सर्वसंबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, नामान्तकरण संख्या 2242 दिनांक 14.09.2022 का एकतरफा पुनर्विलोकन करते हुए इसे निरस्त कर पुनः पूर्व खातेदार रेस्पो. संख्या 06 के नाम दर्ज किया गया तथा जैर पुनर्विलोकित जैर नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 05.10.2024 स्वीकृत किया गया। सुनवाई के अवसर बिना पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पुनर्विलोकन का कोई विधिक आधार, संतोषजनक कारण अथवा विक्रमांक/नस्ती विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे आदेश की वैधता और भी संदेहास्पद होती है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 06 द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 05 के पक्ष में किये गये विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2022 को भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। रेस्पो. संख्या 06 स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर यह अनापत्ति व्यक्त कर चुके है कि यदि जैर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण निरस्त होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि जैर पुनर्विलोकित नामान्तरकरण गलत, अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है। अतः जब मूल विक्रय–विलेख विधि–सम्मत, अप्रतिवादित एवं प्रभावी है तथा पूर्व खातेदार स्वयं सहमत है तो, जैर पुनर्विलोकित नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण है।

लिहाजा उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत जैर अपील स्वीकार कर जैर पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 2242 दिनांक 05.10.2024 को अपास्त कर तद्नुसार तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में पुनः हस्ब पंजीकृत विक्रय–पत्र की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली